

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक/एम.सी./अराज/5/2024

भोपाल, दिनांक/09/2024

//आदेश//

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 2188-2201/स्था/नर्सिंग/2024 भोपाल, दिनांक 25.07.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55, दिनांक 17.11.2020 भोपाल एवं पत्र क्रमांक 26071/एम.सी./अराज-5/2024 भोपाल, दिनांक 30.07.2024 एवं पत्र क्रमांक 31736-45/एम.सी./अराज-5/2024 भोपाल दिनांक 05.09.2024 के परिपालन में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण 2018-2019 बी.एस.सी. की नर्सिंग उत्तीर्ण अनुबंधित छात्राओं के दस्तावेजों के सत्यापन एवं स्कूटनी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में रिक्त हुए पदों पर के विरुद्ध निम्नानुसार अनुबंधित नर्सिंग छात्राओं को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान कर आपकी पदस्थापना संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में की जाती है।

सरल क्र.	अनुबंधित छात्रा का नाम	पिता का नाम	संवर्ग	पता
मेरिट सूची अनारक्षित				
01	रोशनी भदौरिया	श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया	अनारक्षित	भिण्ड
02	किरण भदौरिया	श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया	अनारक्षित	भिण्ड
03	शना केशर	श्री रियाज हुसैन	अनारक्षित	छिन्दवाड़ा
04	जीया फातमा	श्री अबसार अहमद सिद्दकी	अनारक्षित	छिन्दवाड़ा
05	रैनू गुप्ता	श्री रामपाल गुप्ता	अनारक्षित	रीवा
06	प्रियंका पटेल	श्री तुलाराम पटेल	अनारक्षित	मण्डला
07	रागिनी पटेल	श्री काशीराम पटेल	अनारक्षित	नरसिंहपुर
08	रिया पटले	श्री मोरध्वज पटले	अनारक्षित	बालाघाट
09	रश्मि सनोडिया	श्री रमेश सनोडिया	अनारक्षित	सिवनी
10	सीमा नरवरे	श्री प्रहलाद नरवरे	अनारक्षित	बैतूल
11	अर्चना बोरबन	श्री दशरथ बोरबन	अनारक्षित	बैतूल
मेरिट सूची अन्य पिछड़ा वर्ग				
01	शुभी साहू	श्री मुकेश कुमार साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	होशंगाबाद
02	निकिता साहू	श्री दयाराम साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	राजगढ़
03	स्नेहा साहू	श्री लल्ला राम	अन्य पिछड़ा वर्ग	मंडला
04	स्मिता पटेल	श्री नन्दलाल पटेल	अन्य पिछड़ा वर्ग	रीवा
05	शालु पिपरे	श्री तिलकचन्द पिपरे	अन्य पिछड़ा वर्ग	बालाघाट
06	टीना कोठारे	श्री विलासराम कोठारे	अन्य पिछड़ा वर्ग	बालाघाट
07	इशु यादव	श्री गोपाल यादव	अन्य पिछड़ा वर्ग	दतिया

मेरिट सूची अनुसूचित जाति				
01	विनीता प्रजापति	श्री बैजनाथ प्रजापति	अनुसूचित जाति	टीकमगढ़
02	निधि झारिया	श्री सीताराम झारिया	अनुसूचित जाति	मण्डला
03	राधिका गोनेकर	श्री बबलू गोनेकर	अनुसूचित जाति	छिन्दवाड़ा

मेरिट सूची अनुसूचित जनजाति				
01	सोनाली उइके	श्री महेश कुमार उइके	अनुसूचित जनजाति	सिवनी
02	भारती भाभर	श्री छोटिया भाभर	अनुसूचित जनजाति	इन्दौर
03	आरती भाभर	श्री छोटिया भाभर	अनुसूचित जनजाति	उज्जैन

नियुक्ति की शर्तें:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
3. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के साथ न्यूनतम 03 वर्ष की सेवायें देने हेतु 500/- रूपये के स्टाम्प पर बॉण्ड "सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र" निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय की राशि इस संस्था को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि के समान वसूली योग्य होगी।
4. तीन माह पश्चात नर्सिंग ऑफिसर के कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
5. चयनित प्रत्याशी को 100/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
6. चयनित प्रत्याशी को चयन सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह नियुक्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन नियमों के तहत होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2 /96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
13. चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीवीक्षा अवधि में त्याग पत्र दिया जाता है तो नियुक्ति शर्त क्रमांक 03 के अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित उम्मीदवार त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा कर अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर देना अनिवार्य होगा।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
16. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों पर भी हो सकता है।

18. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
19. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते हैं।
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
21. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
23. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पु. क्रमांक 3430643 / एम.सी. / अराज-5 / 2024

भोपाल, दिनांक 26 / 09 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जावे।
8. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. मेड्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
10. संबंधित कर्मचारी नाम..... पदनाम- नर्सिंग ऑफिसर., पता..... की ओर पालनार्थ।
11. आदेश नस्ति / व्यक्तिगत नस्ति।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल